

	<p>भारत सरकार उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ट्रैक्टर नगर, सिरसा रोड, हिसार (हरियाणा)-125 001</p>	<p>Website: http://nrfmtti.gov.in/ E-mail: fmti-nr@nic.in Tele. /FAX: 01662-276984</p>
<p>संख्या :- 7-1/2018 F&H</p>		<p>दिनांक 22.09.2022</p>
<p>गेहूँ एवं सरसों फसल की बिजाई पश्चात “जहा है व जैसे है” के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी सूचना</p>		
<p>इस संस्थान के फार्म पर प्रस्तावित 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों की फसल की बिजाई पश्चात “जहा है व जैसे है” के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी के लिये मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 04.10.2022 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक तथा उसी दिन 4.30 बजे अपरान्ह निविदाये खोली जाएगी। विस्तृत जानकारी एवं निविदा फार्म संस्थान की वेबसाईट www.nrfmtti.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।</p>		
<p>निदेशक</p>		

भारत सरकार / **Government of India**

उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान / **Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute**
ट्रैक्टर नगर, सिरसा रोड, हिसार (हरियाणा) / **Tractor Nagar, Sirsa Road, Hisar (Haryana)- 125 001**
Website: <http://nrfmtti.gov.in> E-mail: fmti-nr@nic.in Tel./Fax: 01662276984 GSTIN:06AAAGN0273PIZ3
[ISO- 9001: 2015 CERTIFIED]

संख्या/ No. 7-1/2018 -F&H

दिनांक/Dated: 22.09.2022

वर्ष 2022-23 में संस्थान के फार्म पर गेहूँ एवं सरसों फसल की बिजाई पश्चात “जहा है व जैसे है” के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी की नियम एवं शर्तें इस प्रकार है :-

उ.क्षे . कृ.म. प्र.व प. संस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 में निम्न तालिका में दर्शाये गए फार्म रबी सीजन 2022-23 के लिए 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों फसल की बिजाई पश्चात “जहा है व जैसे है” के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी किया जाना है, जिनका फार्मवाइज क्षेत्र (बिना जोत वाली सहित) का उच्चतमबोली मूल्य व जमा करवाई गई धरोहर राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	फार्म का नाम	स्थान	फार्म का एरिया	प्रस्तावित फसल योजना	वर्ष 2022-23 की धरोहर राशि
1.	37 एकड़ एरिया	संस्थान के कैम्पस से लगा एरिया	30 एकड़	गेहूँ	3,00,000/- (बैंक ग्यारंटी के रूप में)
2.	मुख्य फार्म	बगला रोड के साथ लगा एरिया	70 एकड़	गेहूँ	
			50 एकड़	सरसों	
कुल			150 एकड़		

निविदा की नियम एवं शर्तें :-

1.	निविदा फार्म 500 / (रूपये पांच सौ केवल) भारत कोष (NTRP) पोर्टल पर भुगतान कर कार्यालय से नियम और शर्तों के साथ प्राप्त किया जा सकता है ,अथवा संस्थान की वेबसाइट www.nrfmtti.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है । निविदा फार्म की बिक्री दिनांक: 25.09.2022 से शुरू होगी और निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 04.10.2022 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक दिया जाएगा।
2.	निविदा फार्म संस्थान की वेबसाइट www.nrfmtti.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है । इस मामले में निविदा फार्म के लिए शुल्क के रूप में रु.500 / - का डिमांड ड्राफ्ट फार्म के साथ संलग्न करना होगा । जो निदेशक , उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, हिसार , हरियाणा, में देय हो ।
3.	निविदाएं 4.30 बजे अपरान्ह उसी दिन अर्थात 04.10.2022 को खोली जाएगीं ।
4.	निविदाकर्ता को नीलामी में भाग लेने के लिए रु. 50,000 /- (पचास हजार रुपए केवल) ई .एम. डी. के रूप में जमा करना होगा ,जो डी.डी. के रूप में , निदेशक , उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक हिसार, हरियाणा में देय होगा । यदि निविदा फार्म संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तब ई .एम .डी. का डिमांड ड्राफ्ट और निविदा फार्म का डिमांड ड्राफ्ट अलग-अलग होना चाहिए ।

5.	दोनों फार्मों की भूमि रबी सीजन 2022-23 के लिए (15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023) गेहूँ एवं सरसों फसल उत्पादन करवाने के लिये सफल बोलीदाता द्वारा बोली की राशि का 25 प्रतिशत राशि एक सप्ताह के अंदर - अंदर तथा शेष 75 % प्रतिशत राशि 30 दिसम्बर 2022 तक जमा करना होगा
6.	सफल बोलीदाता फसल उत्पादक किसान को धरोहर राशि 3,00,000/- रुपया बैंक ग्यारंटी के रूप में 15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023 तक की कार्य अवधि के लिए जमा करनी होगी, जो कार्य समाप्त होने पर तथा फार्म पर लगे पेड़ व अन्य सामान के सुरक्षित वापिस लौटाने पर वापिस कर दी जाएगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा
7.	संस्थान के माध्यम से अनुबंध के अनुसार फसल उत्पादन अपनाया होगा, यह संस्थान फसल उत्पादक को रबी सीजन 2022-23 के लिए लगभग 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों फसल की बिजाई सम्पन्न करने के पश्चात सौंप दी जायेगी इसके पश्चात फसल बड़वार से परिपक्व अवस्था तक प्रयुक्त यूरिया खाद, अन्य सुक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, सल्फर इत्यादि, खरपतवार नाशक, कीट नाशक व रोगों को नियंत्रित करने हेतु फफूंद नाशक व अन्य पौध संरक्षक दवाई व कृषि यंत्रो इत्यादि का प्रबंध व कीमत/ लागत खुद वहन करनी होगी
8.	फसल की सुरक्षा स्वयं फसल उत्पादक को ही करनी होगी
9.	फार्म मुख्य द्वार पर 24 घंटे एक चौकीदार संस्थान की ओर से तैनात रहेगा इनका मुख्य कार्य फार्म संपदा की सुरक्षा करना होगा फसल की नीलगाय से सुरक्षा स्वयं फसल उत्पादक को ही करना होगा
10.	सामान्यतः नहर 17 दिन बंद रहती है तथा 1 सप्ताह चलती है, किंतु नहर में पानी की कमी होने पर यह अंतराल बढ़ भी सकता है अथवा बरसात हो जाने पर अतिरिक्त पानी निकासी हेतु समय से पूर्व भी नहर का पानी उपलब्ध हो सकता है नहर कब आएगी, इस बात पर नहर विभाग का पूर्णतया नियंत्रण होता है ना कि संस्थान का आपातकालीन परिस्थिति में पेयजल संकट में संस्थान को नहर का पानी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा
11.	यह संस्थान फसल उत्पादक के अनुरोध पर परीक्षण के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध होने पर लगभग 100 एकड़ गेहूँ की निशुल्क कटाई संपन्न करने पर विचार कर सकता है, अन्यथा फसल उत्पादक को स्वयं ही फसल कटाई अपने संसाधन से संपन्न करना होगा यहां पर यह बात भी स्पष्ट की जाती है की कंबाइन हार्वेस्टर का परीक्षण तय मानकों के अनुसार किया जाएगा, इस परीक्षण के दौरान यदि फसल को कोई क्षति पहुंचती है, दाना टूटता है, इन सब के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा फसल उत्पादक को अपनी फसल की कटाई परीक्षण की कंबाइन हार्वेस्टर से सम्पन्न कराने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, इस विषय में फसल उत्पादक का निर्णय अंतिम होगा
12.	फसल उत्पादक किसान को संस्थान द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के मुताबिक कार्य करना होगा तथा उत्पादन की गई फसल (दाना तथा भूसा) कृषि सहायक के सुपर विज़न में संस्थान के फार्म से बाहर ले जाने की अनुमति होगी
13.	फसल उत्पादक किसान को उत्पादन की गई फसल (दाना तथा भूसा) के अलावा अन्य कोई भी सामग्री जैसे सफेदा, शीशम, कीकर व अन्य वृक्षों से प्राप्त लकड़ी अथवा अन्य शासकीय संपत्ति सिंचाई हेतु उपलब्ध पंप इत्यादि को नहीं ले जा सकता
14.	फार्म के पेड़ काटे नहीं जायेंगे, बल्कि उनकी रखवाली करनी होगी कब्ज़ा देते समय पेड़ों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा फसल उत्पादक किसान के हस्ताक्षर लिए जायेंगे
15.	आंधी - तूफान के दौरान फार्म पर कोई भी पेड़ गिर जाता है तब इसकी सूचना तुरंत ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को देनी होगी
16.	फसल के अलावा फार्म से मिट्टी अथवा अन्य सम्पदा नहीं उठाई जायेगी

17.	फार्म पर बने सरकारी भवनों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी फसल उत्पादक किसान की होगी और उनकी देखभाल करना तथा कार्य के अंत में 15 मई 2023 को संस्थान को लौटाना होगा तथा भवनों में किसी भी प्रकार की बदली अपने स्तर पर नहीं की जाएगी और कोई भी स्थाई ढांचा फार्म पर नहीं बनाया जायेगा
18.	यदि किसी फसल का नुकसान बाढ़, प्राकृतिक आपदा अथवा नील गाय द्वारा फसल चरने आदि के कारणों से होगा तो उस नुकसान की भरपाई संस्थान के द्वारा नहीं की जायेगी और न ही फसल उत्पादक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों जैसे फसल अवशेष न जलाना आदि की पालना करने के प्रति वचनबद्ध रहेगा और उल्लंघन पाये जाने पर जुर्माना आदि का वहन फसल उत्पादक किसान को करना होगा
19.	फार्म पर ट्यूबेलों के मोटर तथा पंप इत्यादि की मरम्मत का खर्चा फसल उत्पादक किसान को स्वयं वहन करना होगा
20.	फार्म के बिजली बिलों तथा नहरी सिंचाई का रबी सीजन के बिल का भुगतान संस्थान की तरफ से संबंधित विभाग को किया जायेगा
21.	फार्म पर लगे ट्रांसफार्मर का 30 KW लोड स्वीकृत है, इस लोड से अधिक बिजली खपत की अनुमति नहीं है यदि किसी कारण से यह लोड बढ़ता है, तब उस पर लगने वाले जुर्माने की भरपाई ठेकेदार द्वारा संबंधित विभाग को करनी होगी
22.	फार्म पर सिंचाई हेतु नया बोरवेल लगाने हेतु अनुमति संस्थान के निदेशक महोदय से प्राप्त करनी होगी तथा इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में ट्रांसफार्मर पर लोड 30 KW से अधिक न हो
23.	फार्म को रबी सीजन 2022-23 के लिए 15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023 तक की कार्य अवधि के लिए फसल उत्पादन के लिये देना है, जो कि रबी की फसलों के लिये ही मान्य होगा
24.	दोनों ही फार्म एक ही फसल उत्पादक किसान को उच्चतमबोली के आधार पर रबी सीजन 2022-23 के लिए 15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023 तक की निर्धारित अवधि के लिए लगभग 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों फसल उत्पादन हेतु उपलब्ध होगा
25.	फसल उत्पादक किसान इस भूमि का प्रयोग केवल रबी सीजन 2022-23 के लिए 15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023 तक की निर्धारित अवधि के लिए लगभग 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों फसल उत्पादन के लिए ही करेगा, अन्य गतिविधियों के लिए नहीं फसल उत्पादक किसान द्वारा फार्म पर किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक, असामाजिक कार्य नहीं किया जायेगा यदि फसल उत्पादक द्वारा इस समय अवधि के दौरान कोई भी ऐसी अनियमितता पायी गई तो इसका उत्तरदायित्व फसल उत्पादक किसान का होगा तथा इस संबंध में होने वाली आगामी कार्यवाही के लिये फसल उत्पादक किसान स्वयं जिम्मेदार होगा
26.	फसल उत्पादक किसान इस विभाग व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की निरिक्षण में कोई बाधा नहीं डालेगा
27.	यदि फसल उत्पादक किसान संस्थान द्वारा लगाई गई नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है और उसके कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी फसल उत्पादक किसान की होगी तथा नुकसान की भरपाई फसल उत्पादक किसान से की जायेगी, यदि फिर भी नुकसान की पूर्ण भरपाई नहीं हो पाती तो संस्थान को अधिकार होगा कि शेष देय राशि किसान की व्यक्तिगत सम्पत्ति से कोर्ट के माध्यम से वसूल की जायेगी इस बारे में यदि कोई विवाद होगा तो संस्थान के निदेशक महोदय का फैसला अंतिम होगा और फसल उत्पादक किसान को मान्य होगा

28.	फसल उत्पादक किसान द्वारा फार्म पर फसल उत्पादन का कार्य स्वयं करना होगा ठेका आगे अन्य ठेकेदार को देने का अधिकार नहीं होगा
29.	फसल उत्पादक किसान का यदि कोई विवाद होता है तो निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान का फैसला मान्य होगा
30.	इच्छुक ठेकेदार कार्य स्थल का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवसों पर कर सकते हैं (सोमवार - शुक्रवार) 10.00AM - 5.00 PM के बीच
31.	वर्ष 2022-23 (15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023) की कार्य अवधि के लिए लगभग 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों फसल उत्पादन हेतु प्रस्तुत दर प्रति एकड़ देना होगा जो फार्म उपज निपटान समीति द्वारा तय आरक्षित मूल्य की तुलना में कम होना पाया जाता है , इस प्रकार प्राप्त उच्चतम बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा आरक्षित कीमत फार्म उपज निपटान समीति के पास सील बंद लिफाफे में उपलब्ध होगी
32.	निविदा प्राप्ति की निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा
33.	निर्धारित अवधि में ठेकेदार को फार्म उपज ले कर जाना होगा ,किसी भी दशा में ठेका आगे नहीं बढ़ाया जायेगा
34.	ठेका समाप्ति अर्थात् 15 मई 2023 के पश्चात् कोई भी फार्म उत्पाद अनाज , भूसा अथवा कड़वी फार्म से उठाने की अनुमति नहीं होगी
35.	ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का कृषि कार्य में उपयोग नहीं किया जायेगा
36.	संस्थान के फार्म पर कार्य कर रहे सभी मजदूर व ओपरेटर के आधार की एक प्रति इस संस्थान को भी उपलब्ध कराना होगा, जो इस संस्थान की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा
37.	फार्म पर कार्य के दौरान घटित किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए फसल उत्पादक किसान/ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा
38.	निविदादाता को आधार कार्ड,पैन कार्ड और बैंक खाता पासबुक के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा
39.	संस्थान के निदेशक महोदय बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं

निदेशक

भारत सरकार / **Government of India**

उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान / **Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute**
ट्रैक्टर नगर, सिरसा रोड, हिसार (हरियाणा) / **Tractor Nagar, Sirsa Road, Hisar (Haryana)- 125 001**

Website: <http://nrfmtti.gov.in> E-mail: fnti-nr@nic.in Tel./Fax: 01662276984 GSTIN:06AAAGN0273PIZ3
[ISO- 9001: 2015 CERTIFIED]

No.07-01/2018 F&H

Dated: 20.09.2022

गेहूँ एवं सरसों फसल की बिजाई पश्चात "जहा है व जैसे है" के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी हेतु प्रस्तुत दर

1.	Tender no:	
2.	Tenderer's Name and Address	
3.	Telephone Number/Mobile No.	
4.	Last date and time for receipt of tender	04.10.2022 up to 4.00 pm
5.	Date, time and venue for opening of tender	04.10.2022 at 04.30 PM., in the Seminar Hall of NRFMTTI, Hisar - 125001 (Haryana)
6.	Validity/Last date for harvesting of crop and/or residue.	Harvesting of crop must be finished positively by 15.05.2023 . Under no circumstance, the period would be extended. Leftover crop/crop residue after due date would be stand forfeited and the same will be buried/disposed to make the field available for sowing of wheat crop.
7.	Location of Bajra and Guar Crop.	Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Tractor Nagar, Sirsa Road, Hisar (Haryana)-125 001
8.	Price quoted for Wheat Crop per acre (गेहूँ फसल की प्रति एकड़ की दर)	Rs.
9.	Price quoted for Mustard Crop per acre (सरसों फसल की प्रति एकड़ की दर)	Rs.
10.	Demand Draft Number for EMD	
11.	Demand Draft Number for Tender form	

Signature of
the tenderer

Name:

Full Address

Mobile No.:

निविदा की नियम एवं शर्तें :-

1.	निविदा फार्म 500 (रूपये पांच सौ केवल) भारत कोष (NTRP) पोर्टल पर भुगतान कर कार्यालय से नियम और शर्तों के साथ प्राप्त किया जा सकता है ,अथवा संस्थान की वेबसाइट www.nrfmtti.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है । निविदा फार्म की बिक्री दिनांक: 25.09.2022 से शुरू होगी और निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 04.10.2022 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक दिया जाएगा।
2.	निविदा फार्म संस्थान की वेबसाइट www.nrfmtti.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है । इस मामले में निविदा फार्म के लिए शुल्क के रूप में रु.500 / - का डिमांड ड्राफ्ट फार्म के साथ संलग्न करना होगा । जो निदेशक , उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, हिसार , हरियाणा, में देय हो ।
3.	निविदाएं 4.30 बजे अपरान्ह उसी दिन अर्थात 04.10.2022 को खोली जाएगीं ।
4.	निविदाकर्ता को नीलामी में भाग लेने के लिए रु. 50,000 /- (पचास हजार रुपए केवल) ई .एम .डी. के रूप में जमा करना होगा ,जो डीडी के रूप में , निदेशक , उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक हिसार, हरियाणा में देय होगा । यदि निविदा फार्म संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तब ई .एम .डी. का डिमांड ड्राफ्ट और निविदा फार्म का डिमांड ड्राफ्ट अलग-अलग होना चाहिए ।
5.	दोनों फार्मों की भूमि रबी सीजन 2022-23 के लिए (15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023) गेहूँ एवं सरसों फसल उत्पादन करवाने के लिये सफल बोलीदाता द्वारा बोली की राशि का 25 प्रतिशत राशि एक सप्ताह के अंदर - अंदर तथा शेष 75 % प्रतिशत राशि 30 दिसम्बर 2022 तक जमा करना होगा ।
6.	सफल बोलीदाता फसल उत्पादक किसान को धरोहर राशि 3,00,000/- रुपया बैंक ग्यारंटी के रूप में 15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023 तक की कार्य अवधि के लिए जमा करनी होगी, जो कार्य समाप्त होने पर तथा फार्म पर लगे पेड़ व अन्य सामान के सुरक्षित वापिस लौटाने पर वापिस कर दी जाएगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
7.	संस्थान के माध्यम से अनुबंध के अनुसार फसल उत्पादन अपनाता होगा, यह संस्थान फसल उत्पादक को रबी सीजन 2022-23 के लिए लगभग 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों फसल की बिजाई सम्पन्न करने के पश्चात सौप दी जायेंगी । इसके पश्चात फसल बड़वार से परिपक्व अवस्था तक प्रयुक्त यूरिया खाद,अन्य सुक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक,सल्फर इत्यादि, खरपतवार नाशक,कीट नाशक व रोगों को नियंत्रित करने हेतु फफूंद नाशक व अन्य पौध संरक्षक दवाई व कृषि यंत्रो इत्यादि का प्रबंध व कीमत/ लागत खुद वहन करनी होगी ।
8.	फसल की सुरक्षा स्वयं फसल उत्पादक को ही करनी होगी ।
9.	फार्म मुख्य द्वार पर 24 घंटे एक चौकीदार संस्थान की ओर से तैनात रहेगा । इनका मुख्य कार्य फार्म संपदा की सुरक्षा करना होगा । फसल की नीलगाय से सुरक्षा स्वयं फसल उत्पादक को ही करना होगा ।

10.	सामान्यतः नहर 17 दिन बंद रहती है तथा 1 सप्ताह चलती है, किंतु नहर में पानी की कमी होने पर यह अंतराल बढ़ भी सकता है अथवा बरसात हो जाने पर अतिरिक्त पानी निकासी हेतु समय से पूर्व भी नहर का पानी उपलब्ध हो सकता है नहर कब आएगी, इस बात पर नहर विभाग का पूर्णतया नियंत्रण होता है ना कि संस्थान का आपातकालीन परिस्थिति में पेयजल संकट में संस्थान को नहर का पानी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा
11.	यह संस्थान फसल उत्पादक के अनुरोध पर परीक्षण के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध होने पर लगभग 100 एकड़ गेहूं की निशुल्क कटाई संपन्न करने पर विचार कर सकता है, अन्यथा फसल उत्पादक को स्वयं ही फसल कटाई अपने संसाधन से संपन्न करना होगा यहां पर यह बात भी स्पष्ट की जाती है की कंबाइन हार्वेस्टर का परीक्षण तय मानकों के अनुसार किया जाएगा, इस परीक्षण के दौरान यदि फसल को कोई क्षति पहुंचती है, दाना टूटता है, इन सब के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा फसल उत्पादक को अपनी फसल की कटाई परीक्षण की कंबाइन हार्वेस्टर से सम्पन्न कराने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता ,इस विषय में फसल उत्पादक का निर्णय अंतिम होगा
12.	फसल उत्पादक किसान को संस्थान द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के मुताबिक कार्य करना होगा तथा उत्पादन की गई फसल(दाना तथा भूसा) कृषि सहायक के सुपर विज़न में संस्थान के फार्म से बाहर ले जाने की अनुमति होगी
13.	फसल उत्पादक किसान को उत्पादन की गई फसल (दाना तथा भूसा) के अलावा अन्य कोई भी सामग्री जैसे सफेदा, शीशम ,कीकर व अन्य वृक्षों से प्राप्त लकड़ी अथवा अन्य शासकीय संपत्ति सिचाई हेतु उपलब्ध पंप इत्यादि को नहीं ले जा सकता
14.	फार्म के पेड़ काटे नहीं जायेंगे, बल्कि उनकी रखवाली करनी होगी कब्ज़ा देते समय पेड़ों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा फसल उत्पादक किसान के हस्ताक्षर लिए जायेंगे
15.	आंधी – तूफान के दौरान फार्म पर कोई भी पेड़ गिर जाता है तब इसकी सूचना तुरंत ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को देनी होगी
16.	फसल के अलावा फार्म से मिट्टी अथवा अन्य सम्पदा नहीं उठाई जायेगी
17.	फार्म पर बने सरकारी भवनों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी फसल उत्पादक किसान की होगी और उनकी देखभाल करना तथा कार्य के अंत में 15 मई 2023 को संस्थान को लौटाना होगा तथा भवनों में किसी भी प्रकार की बदली अपने स्तर पर नहीं की जाएगी और कोई भी स्थाई ढांचा फार्म पर नहीं बनाया जायेगा
18.	यदि किसी फसल का नुकसान बाढ़ , प्राकृतिक आपदा अथवा नील गाय द्वारा फसल चरने आदि के कारणों से होगा तो उस नुकसान की भरपाई संस्थान के द्वारा नहीं की जायेगी और न ही फसल उत्पादक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों जैसे फसल अवशेष न जलाना आदि की पालना करने के प्रति वचनबद्ध रहेगा और उल्लंघन पाये जाने पर जुर्माना आदि का वहन फसल उत्पादक किसान को करना होगा
19.	फार्म पर ट्यूबवेलों के मोटर तथा पंप इत्यादि की मरम्मत का खर्चा फसल उत्पादक किसान को स्वयं वहन करना होगा
20.	फार्म के बिजली बिलों तथा नहरी सिचाई का रबी सीजन के बिल का भुगतान संस्थान की तरफ से संबंधित विभाग को किया जायेगा
21.	फार्म पर लगे ट्रांसफार्मर का 30 KW लोड स्वीकृत है, इस लोड से अधिक बिजली खपत की अनुमति नहीं है यदि किसी कारण से यह लोड बढ़ता है ,तब उस पर लगने वाले जुर्माने की भरपाई ठेकेदार द्वारा संबंधित विभाग को करनी होगी

22.	फार्म पर सिंचाई हेतु नया बोरवेल लगाने हेतु अनुमति संस्थान के निदेशक महोदय से प्राप्त करनी होगी तथा इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में ट्रांसफार्मर पर लोड 30 KW से अधिक न हो।
23.	फार्म को रबी सीजन 2022-23 के लिए 15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023 तक की कार्य अवधि के लिए फसल उत्पादन के लिये देना है, जो कि रबी की फसलों के लिये ही मान्य होगा।
24.	दोनों ही फार्म एक ही फसल उत्पादक किसान को उच्चतमबोली के आधार पर रबी सीजन 2022-23 के लिए 15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023 तक की निर्धारित अवधि के लिए लगभग 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों फसल उत्पादन हेतु उपलब्ध होगा।
25.	फसल उत्पादक किसान इस भूमि का प्रयोग केवल रबी सीजन 2022-23 के लिए 15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023 तक की निर्धारित अवधि के लिए लगभग 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों फसल उत्पादन के लिए ही करेगा, अन्य गतिविधियों के लिए नहीं। फसल उत्पादक किसान द्वारा फार्म पर किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक, असामाजिक कार्य नहीं किया जायेगा। यदि फसल उत्पादक द्वारा इस समय अवधि के दौरान कोई भी ऐसी अनियमितता पायी गई तो इसका उत्तरदायित्व फसल उत्पादक किसान का होगा तथा इस संबंध में होने वाली आगामी कार्यवाही के लिये फसल उत्पादक किसान स्वयं जिम्मेदार होगा।
26.	फसल उत्पादक किसान इस विभाग व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की निरिक्षण में कोई बाधा नहीं डालेगा।
27.	यदि फसल उत्पादक किसान संस्थान द्वारा लगाई गई नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है और उसके कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी फसल उत्पादक किसान की होगी तथा नुकसान की भरपाई फसल उत्पादक किसान से की जायेगी, यदि फिर भी नुकसान की पूर्ण भरपाई नहीं हो पाती तो संस्थान को अधिकार होगा कि शेष देय राशि किसान की व्यक्तिगत सम्पत्ति से कोर्ट के माध्यम से वसूल की जायेगी। इस बारे में यदि कोई विवाद होगा तो संस्थान के निदेशक महोदय का फैसला अंतिम होगा और फसल उत्पादक किसान को मान्य होगा।
28.	फसल उत्पादक किसान द्वारा फार्म पर फसल उत्पादन का कार्य स्वयं करना होगा। ठेका आगे अन्य ठेकेदार को देने का अधिकार नहीं होगा।
29.	फसल उत्पादक किसान का यदि कोई विवाद होता है तो निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान का फैसला मान्य होगा।
30.	इच्छुक ठेकेदार कार्य स्थल का निरिक्षण किसी भी कार्य दिवसों पर कर सकते हैं (सोमवार - शुक्रवार) 10.00AM - 5.00 PM के बीच।
31.	वर्ष 2022-23 (15 अक्टूबर 2022 से 15 मई 2023) की कार्य अवधि के लिए लगभग 100 एकड़ गेहूँ एवं 50 एकड़ सरसों फसल उत्पादन हेतु प्रस्तुत दर प्रति एकड़ देना होगा जो फार्म उपज निपटान समीति द्वारा तय आरक्षित मूल्य की तुलना में कम होना पाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त उच्चतम बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरक्षित कीमत फार्म उपज निपटान समीति के पास सील बंद लिफाफे में उपलब्ध होगी।
32.	निविदा प्राप्ति की निर्धारित तारीख और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
33.	निर्धारित अवधि में ठेकेदार को फार्म उपज ले कर जाना होगा, किसी भी दशा में ठेका आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।
34.	ठेका समाप्ति अर्थात् 15 मई 2023 के पश्चात् कोई भी फार्म उत्पाद अनाज, भूसा अथवा कड़बी फार्म से उठाने की अनुमति नहीं होगी।

35.	ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का कृषि कार्य में उपयोग नहीं किया जायेगा ।
36.	संस्थान के फार्म पर कार्य कर रहे सभी मजदूर व ओपरेटर के आधार की एक प्रति इस संस्थान को भी उपलब्ध कराना होगा, जो इस संस्थान की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा ।
37.	फार्म पर कार्य के दौरान घटित किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए फसल उत्पादक किसान/ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
38.	निविदादाता को आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता पासबुक के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।
39.	संस्थान के निदेशक महोदय बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ।

मैंने उपरोक्त सभी को समझ लिया है और मैं उपरोक्त सभी नियमों और शर्तों का पालन करना स्वीकार करता/करती हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर	:	
नाम	:	
पता	:	
मोबाईल नंबर	:	